It is submitted that Government Order **(G.O.) No- 292/एक-11-2025-04 (जी)-2015 Dated- 19 June, 2025** is not available in English.

The original copy of the said Government Order is available in Hindi only, which has been uploaded accordingly for reference and record.

Submitted for kind information.

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-11
संख्या-292/एक-11-2025-04 (जी)/2015
लखनऊ: दिनांक: 19 जून, 2025

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से (वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक) व्यय के संबंध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या 33-03/2020-NIDM-1 दिनाँक 11.07.2023 के प्रस्तर-डी में State specific disasters के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था दी गयी है:-

Items	Norms of Assistance
State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for local disaster should not exceed the norms of SDRF. • The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and has notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters, with the approval of SEC.

2- उक्त के अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियो के क्रम में गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 33-3/2021-एनडीएम-1 दिनाँक 12.01.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि 2021-22 से 2025-26 के लिए निर्गत गाइड लाइन के प्रस्तर-3.2 में भी निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

> A State Government may use up to 10% fund of the annual allocation of the SDRF for providing immediate relief to the victims of natural disasters that they consider to be "disasters' within the local context in the State and which are not included in the notified list of disasters of the Ministry of Home Affairs (MHA) subject to the condition that the State Government has listed the State specific natural disasters and notified clear and transparent norms and guidelines for such disasters with the approval of the State Authority i.e. the State Executive

Committee (SEC). Any amount spent by the State for such disasters over and above the ceiling would be borne out of its own resources and would be subject to the same accounting norms.

3- भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त गाईड लाइन के क्रम में प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-303/एक-11-2016-4(जी)/16, दिनांक 27-06-2016, अधिसूचना संख्या-यू.ओ.20/एक-11-2018-4(जी)/15, दिनांक 02-08-2018, अधिसूचना संख्या-310/एक-11-2018-4(जी)/15, दिनांक 10-08-2018, अधिसूचना संख्या-393/एक-11-2018-4(जी)/16, दिनांक 17-10-2018, अधिसूचना संख्या-387/एक-11-2021-4(जी)/15, दिनांक 09-06-2021 एवं अधिसूचना संख्या-586/एक-11-2022-4(जी)/2015 दिनांक 13-10-2022 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना, मानव वन्य जीव द्वन्द्व, कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा प्रदेश में सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

4- अधिसूचना संख्या- 393/एक-11-2018-4(जी)/16, दिनांक 17-10-2018 के द्वारा अधिसूचित मानव वन्य जीव द्वन्द के अन्तर्गत सम्मिलित वन्य जीवों की श्रेणी में लोमडी एवं सियार के आघात से होने वाली जनहानि को भी राज्य आपदा अधिसूचित करने की श्री राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- मानव वन्य जीव द्वन्द सम्बन्धी प्रकरणों में अधिसूचित वन्य जीवों के आघात से होने वाली जनहानि के प्रकरणों में अहेतुक सहायता का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

1. **<u>वन्य जीव द्वन्द श्रेणी-(ए)</u>** अधिसूचना संख्या-393/एक-11-2018 -4(जी)/16, दिनांक 17.10.2018 में उल्लिखित वन्य जीवों- बाघ, शेर, तेंदुआ, भेंड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैण्डा एवं जंगली सुअर के आघात से होने वाली जनहानि से प्रभावित परिवार को कुल रू0 5.00 लाख की धनराशि प्रदान की जायेगी।
2. **<u>वन्य जीव द्वन्द श्रेणी-(बी)</u>** वन्य जीव लोमडी एवं सियार के आघात से होने वाली जनहानि से प्रभावित परिवारों को रू0 4.00 लाख की धनराशि प्रदान की जायेगी।

6- उक्त अधिसूचित आपदा के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड अन्य व्यय-06- स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

Digitally signed by
GURU PRASAD PORALA
Date: 19-06-2025
11:[illegible]
(पी0 गुरू प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनाँक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य एवं विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश।
7. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

9. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ०प्र० शासन।
12. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

Digitally signed by
RAM KEWAL
Date: 19-06-2025
16:24:23

आज्ञा से,
(राम केवल)
सचिव।